

राजस्थान सरकार
अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर - II

क्रमांक :- जयपुर - II / 2015.2017 / 03

दिनांक :- 09 / 10 / 2017

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, चिडावा,

झुंझुनू।


विषय :- नगर पालिका, चिडावा वर्ष : 2015 . 2017 के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

1. संस्था के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन आपको सूचनार्थ तथा उसकी अनुपालना की उचित कार्यवाही किये जाने के लिए भेजा जा रहा है ।
2. प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या भाग I ब-2(i)(ii)(iii)(iv), भाग II 1, 10, 12, 13, 14, 23, 27, 28, 29, 30, 31 की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है ।
33, 34, 35
3. निम्नलिखित रिकॉर्ड अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया था अतः इसका अंकेक्षण आगामी वर्ष किया जावेगा ।
4. कृपया प्रतिवेदन के आक्षेपो के उत्तर , उसी क्रम में जो वह प्रतिवेदन में अंकित हैं , राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 10 तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 28 के अनुसार तीन माह में आवश्यक रूप से भेजें ।

प्रतिवेदन में सम्मिलित आक्षेपो का विवरण निम्नानुसार है :-

- (अ) गबन सम्बन्धित कुल पैरा की संख्या X (अनुच्छेद सं.)
- (ब) गम्भीर प्रकृति के कुल पैरा की संख्या X (अनुच्छेद सं.)
- (स) सामान्य पैरा की कुल संख्या 58 (अनुच्छेद सं.)

48

o/c 
अति. निदेशक


क्रमांक :- जयपुर - II / 2015.2017 / 03

दिनांक :- 09 / 10 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. उपनिदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को प्रतिवेदन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । कृपया अनुच्छेद संख्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है । जो गम्भीर प्रकृति हैं ।

2

o/c 
अति. निदेशक